पत्रांक मं०सं० का०का० (गठन) 01/07–1480

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

**संकल्प**

दिनांक : 15.06.07

अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं कमजोर वर्गो के परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने हेतु 20–सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की गठन की व्यवस्था है।

2. जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है : –

जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे –

| क्र० | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1. | जिला के प्रभारी मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. | मुख्य मंत्री द्वारा नामित | उपाध्यक्ष |
| 3. | मुख्य मंत्री द्वारा नामित | उपाध्यक्ष |
| 4. | जिला के लोकसभा सदस्य | पदेन सदस्य |
| 5. | जिला के वैसे राज्य सभा के सदस्य, जिनका गृह जिला प्रश्नगत जिला में अवस्थित हो। | पदेन सदस्य |
| 6. | जिला के विधान सभा के सभी सदस्य | पदेन सदस्य |
| 7. | जिला के वैसे विधान परिषद के सदस्य, जिनका गृह जिला प्रश्नगत जिला में अवस्थित हो। | पदेन सदस्य |
| 8. | जिला परिषद के अध्यक्ष | पदेन सदस्य |
| 9. | जिला नगर निगम के महापौर/नगर परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष | पदेन सदस्य |
| 10. | मुख्य मंत्री द्वारा नामित 25 सदस्य होंगे जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक के प्रतिनिधि भी अवश्य होंगे। | सदस्य |

3. इसके अतिरिक्त उप विकास आयुक्त, आरक्षी अधीक्षक, सभी जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैक प्रबंधक, जिला में अवस्थित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक तथा नाबार्ड के डी०डी०एम० पदेन सदस्य होंगे।

3.1 जिला के जिला पदाधिकारी इस समिति के पदेन सचिव होंगे।

4. अध्यक्ष की स्वीकृति से समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार होगी।

5. अध्यक्ष, जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के निदेश पर 20 सूत्री कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु उप समिति गठित की जा सकती। लेकिन इसका कार्य एवं दायित्व किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही होगा। यह समिति मूलतः अल्प अवधि के लिए बनेगी।

6. **समिति के सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों के कर्त्तव्य : –**

6.1 प्रत्येक सरकारी पदाधिकारी जो जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के लिए प्राधिकृत है, वे ही बैठक में भाग लेंगे। ऐसे पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही बैठक में अनुपस्थित होंगे।

6.2 जिला पदाधिकारी प्रत्येक बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व संसूचित करेंगे। इसके लिए आवश्यकतानुसार प्रभारी मंत्री की राय से जिला पदाधिकारी रोस्टर संधारित कर संसूचित कर सकते है।

6.3 समिति के वैसे गैर सरकारी सदस्य (सासंद/विधान मंडल के सदस्यों को छोड़कर) जो समिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहेंगे, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी। जो सरकारी सदस्य समिति के निदेश की अवहेलना करेंगे या ससमय प्रतिवेदन भेजने में कोताही बरतेंगे उनके विरूद्ध सदस्य सचिव (जिला पदाधिकारी) सक्षम पदाधिकारी के माध्यम से कारईवाई करने हेतु पहल करेंगे।

6.4 समिति के सदस्य सचिव बैठक के उपरान्त बैठक की कार्यवाही एक सप्ताह के अन्दर सभी सदस्यों को उपलब्ध करायेंगे।

**7. जिला स्तरीय समिति के कृत्य एवं दायित्व :**

**7.1** सरकार द्वारा घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम की मदवार समीक्षा तथा परामर्श के अलावा जन वितरण प्रणाली एवं ग्रामीण रोजगार संबंधी बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा।

**7.2** कृषि एवं कृषि पर आधारित योजनाओं (सिंचाई प्रक्षेत्र की योजना सहित) की बैंकों से मिलने वाला वित्त पोषण एवं उनकी समीक्षा।

**7.3** ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े योजनाओं के अलावा ग्रामीण पथ एवं पुल–पुलिया के निर्माण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा।

**7.4** शिक्षा स्वास्थ्य एवं पेय जल से जुड़े योजनाओं की समीक्षा।

**7.5** वन विस्तार के अलावा हार्टिकल्चर मिशन से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा।

**7.6** बेरोजगारों से निपटने के लिए हैंडलूम हैंडिक्राफ्ट, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, के०भी०आई०सी०, ग्रामीण कुटीर उद्योग, कृषि प्रस्करण एवं कृषि पर आधारित दुग्ध विकास, मत्स्य पालन एवं कुक्कुट जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा।

**7.7** अनुसूचित जाति/ पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों एवं भूमिहीनों को कृषि, ग्रामीण विकास एवं राजस्व एवं भूमि सुधार से मिलने वाली सुविधाओं के अलावा ज्यादा से ज्यादा स्वयं सहायता समूह को संगठित एवं प्रोत्साहित करने की दिशा में पहल।

**7.8** बैंकों द्वारा विभिन्न श्रोतों से वित्त पोषित योजनओं की समीक्षा के अलावा साख योजना की समीक्षा।

**7.8.1** नाबार्ड द्वारा संचालित आर.आई.डी.एफ की समीक्षा।

**7.9** अध्यक्ष महोदय के निदेश पर अन्यान्य बिन्दु।

**आदेश** : आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अनुः यथोक्त ।

ह०/–
**(गिरीश शंकर)**
सरकार के सचिव।

ज्ञापाक : 1480 पटना, दिनांक : 15.06.2007

**प्रतिलिपि** : सभी मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्रीगण एवं अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

**(गिरीश शंकर)**
सरकार के सचिव।

ज्ञापाक : 1480 पटना, दिनांक : 15.06.2007

**प्रतिलिपि** : मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सदस्य राजस्व परिषद/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप मुख्यमंत्री के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

**(गिरीश शंकर)**
सरकार के सचिव।

ज्ञापाक : 1480 पटना, दिनांक : 15.06.2007

**प्रतिलिपि** : सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विभागध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी जिला के उप विकास आयुक्त/ सभी अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी/ सभी आरक्षी उपाधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

**(गिरीश शंकर)**
सरकार के सचिव।

ज्ञापाक : 1480 पटना, दिनांक : 15.06.2007

**प्रतिलिपि** : राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशानार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प का 1000 (एक हजार) प्रतियाँ अविलम्ब मुद्रित कर इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/–

**(गिरीश शंकर)**
सरकार के सचिव।